न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 109/2024

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थी

1. हंसूराम पुत्र राउराम वयस्क
2. मोडाराम पुत्र राउराम वयस्क
3. खेताराम पुत्र मेहताब वयस्क
4. पीराराम पुत्र मेहताब वयस्क
5. वीरोदेवी पत्नि मेहताब वयस्क
6. मनफुली पुत्री सरादीन उर्फ सराज वयस्क
7. जैतीदेवी पत्नि सरादीन उर्फ सराज वयस्क
8. मुलाराम पुत्र सरादीन उर्फ सराज नाबालिग
9. अनिता पुत्री सरादीन उर्फ सराज नाबालिग
10. मंजु पुत्री सरादीन उर्फ सराज नाबालिग
11. विमला पुत्री सरादीन उर्फ सराज नाबालिग
12. सुनिता पुत्री सरादीन उर्फ सराज नाबालिग 8 से 12 की कुदरती माता वल्ली प्रार्थीनी संख्या (7) जैतीदेवी पत्नि सरादीन उर्फ सराज जातियान ढाढी निवासीयान मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

विप्रार्थीगण

1. प्रागा पुत्र शिवजी वयस्क
2. मूला पुत्र शिवजी वयस्क
3. करीमाराम पुत्र खेताराम वयस्क
4. बिजाराम पुत्र खेताराम वयस्क
5. भंवराराम पुत्र खेताराम वयस्क
6. कालूखां पुत्र कुम्भाखां वयस्क
7. गुमनाखां पुत्र कुम्भाखां वयस्क
8. बाबुराम पुत्र अलादीनराम वयस्क
9. मखणाराम पुत्र अलादीनराम वयस्क
10. मिसुराम पुत्र अलादीनराम वयस्क
11. मोडाराम पुत्र अलादीनराम वयस्क
12. सुआ पुत्री अलादीन वयस्क जातियान ढाढी निवासीयान मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।
13. खूबाराम पुत्र बागाराम वयस्क
14. प्रेमाराम पुत्र भेराराम वयस्क
15. राजुराम पुत्र भेराराम वयस्क
16. शत्रुदेवी पत्नि भेराराम वयस्क जातियान ढाढी निवासीयान भलखाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।
17. प्रहलादराम पुत्र उमाराम वयस्क
18. हनुमानराम पुत्र भूराराम वयस्क
19. पुरोदेवी पत्नि हनुमानराम वयस्क जातियान जाट निवासीयान मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।
20. देवाराम पुत्र राजूराम वयस्क
21. उदाराम पुत्र राजूराम वयस्क
22. [illegible]देवी पत्नि राजूराम वयस्क
23. आसुराम पुत्र प्र[illegible] वयस्क
24. [illegible] पुत्र प्र[illegible]राम [illegible]
25. [illegible]राम पुत्र प्रतापारा[illegible]
26. [illegible] पुत्र प्रतापारा[illegible]
27. [illegible]देवी पुत्री प्रता[illegible] वयस्क
28. मीरोदेवी पुत्री प्रतापाराम वयस्क
29. गवरीदेवी पत्नि प्रतापाराम वयस्क जातियान् लोहार निवासी मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:22:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

अ. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा
सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
अ. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने मेखबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री पाबुराम बेनिवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित

2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 01.10.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण का सहखातेदारी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द के ग्राम मोतीसरा में खेत खसरा संख्या 224, 244 रकबा क्रमश 2.6940, 15.5813 हैक्टेयर कुल रकबा 18.2753 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीनाजा को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द के ग्राम मोतीसरा के खेत खसरा संख्या 224, 244 रकबा क्रमश 2.6940, 15.5813 हैक्टेयर कुल रकबा 18.2753 हैक्टेयर भूमि की पक्की मेखबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:22:53 IST
Reason: SelfAttested

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। [illegible] के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के सहखातेदारी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द ग्राम मोतीसरा के खेत खसरा संख्या 224, 244 रकबा क्रमश 2.6940, 15.5813 हैक्टेयर कुल रकबा 18.2753 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द के ग्राम मोतीसरा के खेत खसरा संख्या 224, 244 रकबा क्रमश 2.6940, 15.5813 हैक्टेयर कुल रकबा 18.2753 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द ग्राम मोतीसरा के खेत खसरा संख्या 224, 244, रकबा क्रमश 2.6940, 15.5813 हैक्टेयर कुल रकबा 18.2753 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द के ग्राम मोतीसरा में खेत खसरा संख्या 224, 244, रकबा क्रमश 2.6940, 15.5813 हैक्टेयर कुल रकबा 18.2753 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 01.10.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:22:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी